बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (गया) 02–05/2024–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–8425/रा0 दिनांक–20.12.2023 द्वारा **श्री संजीव कुमार त्रिवेदी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुरारू, गया** के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र एवं मार्गनिर्देशिका की अनदेखी करते हुए जमाबंदी कायम किये जाने, परिमार्जन आवेदनों की सत्यता की जॉच किये बिना राजस्व कर्मचारी के मात्र प्रतिवेदन के आधार पर मूल जमाबंदी पंजी में संधारित नहीं होने के बावजूद ऑनलाईन कतिपय जमाबंदियों में परिमार्जन करते हुए उन खेसरा की जमाबंदी कायम कर दिये जाने, ऑनलाईन दाखिल खारिज के आवेदन के निर्धारित अवधि के बाद भी कुल–901 मामले एवं बिना आपत्ति के 86 मामलों को लंबित रखने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपो के लिए विभागीय पत्रांक–179(15) दिनांक–05.02.2024 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में अंचल कार्यालय, गुरारू के पत्रांक–216 दिनांक–23.02.2024 से श्री त्रिवेदी द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री त्रिवेदी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–2232(15) दिनांक–28.10.2024 द्वारा श्री त्रिवेदी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जॉच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, गया को जॉच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, टिकारी, गया को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, गया के पत्रांक–82/वि0जॉच दिनांक–29.01.2026 द्वारा श्री त्रिवेदी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

5. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा सत्यता की जॉच किये बगैर मात्र राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन/अनुशंसा मात्र के आधार पर परिमार्जन के माध्यम से ऑनलाईन जमाबंदी कायम की गई है। मौजा कोंची. थाना सं0–22. अंचल + थाना– गुरारू अंतर्गत खाता सं0–132 का जमाबंदी दर्ज नहीं रहने तथा बिना दखल कब्जा एवं सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना श्री बृजकिशोर सिंह, पिता–शिवरतन सिंह, श्री जिनेन्द्र सिंह, पिता–स्व० ब्यास सिंह एवं श्री राजकिशोर सिंह बगैर० पिता–शिवरतन सिंह के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी कायम की गई है। अंचल अधिकारी, गुरारू के पत्रांक–174. दिनांक–07.02.2024 द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी के रद्दीकरण संबंधी वाद सं0–02/2023–24 का मूल अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजा गया है जिससे स्पष्ट है कि कायम जमाबंदी अवैध है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा बगैर आपत्ति के दाखिल–खारिज के 86 लंबित मामले रहने के संदर्भ में प्रश्नगत भू–खण्ड के दखल कब्जा एवं विक्रेता से जमाबंदी रैयत का संबंध स्पष्ट कर राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण लंबित रहने का उल्लेख किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अपने अधीनस्थ कर्मियों से समय–सीमा के अन्दर

प्रतिवेदन प्राप्त करना कार्यालय प्रधान की हैसियत से आरोपी पदाधिकारी का पदीय दायित्व है जिसका निर्वहन आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। यदि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों का समुचित ढंग से पर्यवेक्षण / अनुश्रवण किया गया होता तो दाखिल–खारिज के लंबित मामलों की संख्या न्यून होती। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज के 901 मामले निर्धारित अवधि के बाद लंबित रखने के संबंध में अपने स्पष्टीकरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस आरोप को स्वीकार किया गया है और इसके बचाव में उनके पक्ष में कोई साक्ष्य / तथ्य नहीं है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध अवैध जमाबंदी कायम करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आरोप, आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजीव कुमार त्रिवेदी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गुरारू, गया **सम्प्रति चकबंदी पदाधिकारी, चेनारी, रोहतास** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(iv) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 02(दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (गया) 02–05/2024**–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, गया एवं रोहतास/निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना/उप निदेशक, चकबंदी, रोहतास/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया एवं रोहतास(सासाराम)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)/** श्री संजीव कुमार त्रिवेदी, चकबंदी पदाधिकारी, चेनारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (गया) 02–05/2024**–758(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री संजीव कुमार त्रिवेदी** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

08/6/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।